


22.07.2017

सूचना

(NOTICE)

दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार जिन विद्यार्थियों ने (All courses) कक्षा-8 (class-VIII) तक भी हिंदी नहीं पढ़ी है, उन्हें अनिवार्य हिंदी परीक्षा (Compulsory Hindi Test) पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है। यह निर्दिष्ट किया जाता है कि यह पाठ्यक्रम योग्यता प्रयाची (Qualifying Nature) होगा, लेकिन इसे क्वालिफाई (Qualify) किए बिना आपकी स्नातक उपाधि (Graduation Degree) रोकੀ जा सकती है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा-8 तक भी हिंदी नहीं पढ़ी है, वे उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए हिंदी विभाग (कक्षा संख्या 104) में संपर्क करें।

* कृपया इस नोटिस को website पर भी upload करें।


22/7/17
डॉ. वीरेन्द्र भारद्वाज
प्रभारी
हिंदी विभाग